

[2022] 11 एस. सी. आर 1136

बिहार राज्य और अन्य

बनाम्

श्यामा नंदन मिश्रा

(सिविल अपील No.7364/2014)

05 मई, 2022

[न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय]

बिहार गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालय (नियंत्रण और प्रबंधन का अधिग्रहण) अधिनियम, 1981/धाराएँ 9, 15-बिहार अधिग्रहित माध्यमिक विद्यालय (सेवा शर्तें) नियमवली, 1983 बिहार सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमवली, 2009-बिहार शिक्षा संहिता-अनुच्छेद 790-उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि सरकारी और राष्ट्रीयकृत (अधिग्रहित) माध्यमिक विद्यालय दोनों में जिन + 2 व्याख्याताओं की नियुक्ति विज्ञापन सं. 1/87 के अनुसार की गई है। वो हमेशा बिहार अधीनस्थ शिक्षा सेवा (बी. एस. ई. एस.) के हिस्से थे और दिनांक 07.07.2006 के सरकारी निर्णय के अनुसार बिहार शिक्षा II (बी. ई. एस.) के साथ विलय के हकदार हैं- इसने दिनांक 23.06.2009 की सेवा श्रेणी अधिसूचना में भी हस्तक्षेप किया, जिसमें + 2 व्याख्याताओं को राष्ट्रीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के साथ करने का प्रावधान किया गया था, जो बिहार शिक्षा संहिता के अनुच्छेद.790 के उल्लंघन में पाया गया था और सरकार के दिनांक के निर्णय के विरोधाभास में भी है। निषिद्ध आदेश दिनांक 06.10.2006 और अधिसूचना दिनांक 23.6.2009 को रद्द कर दिया गया और अलग कर दिया गया-न्यायोचित पाया+ 2 व्याख्याता पद बी. एस. ई. एस. संवर्ग में बनाया गया-यह दिनांक 13.11.1985 के अधिसूचना में वर्णित किया गया था, और विज्ञापन संख्या 1/87-मे भी माध्यमिक विद्यालयों में बी. एस. ई. एस. शिक्षकों के साथ

वेतनमान समानता प्रदान करने में सरकार का आचरण, इस तरह के निष्कर्ष को मजबूत करता है-ये प्रासंगिक और उपस्थित परिस्थितियाँ नियुक्ति पत्रों में पूर्व-संवर्ग संदर्भ के निहितार्थ को ग्रहण करती हैं-दिनांक 23.06.2009 के अधिसूचना के माध्यम से संवर्गीकरण ने उत्तरदाताओं की वैध अपेक्षाओं को निराश कर दिया है और उत्तरदाताओं की प्रमुख पदों पर पदोन्नति को अवरुद्ध करने के अनुचित उद्देश्य से किया गया था, विशेष रूप से शिक्षा विभाग की प्रशासनिक शाखा में- राज्य की कार्रवाई में इस प्रकार के अन्याय को स्वीकार नहीं किया जा सकता है-+ 2 व्याख्याता वास्तव में अधीनस्थ शिक्षा सेवा के सदस्य हैं-राज्य सरकार को विज्ञापन संख्या 1/87 के अनुसार नियुक्त + 2 व्याख्याताओं को अधीनस्थ शैक्षणिक सेवा के सदस्य के रूप में मानना चाहिए। और अधीनस्थ शैक्षणिक सेवा के सदस्यों के रूप में सभी सेवा लाभ उन्हें दिए जाने चाहिए- निषिद्ध निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं-सेवा कानून।

सिद्धांत/सिद्धांत-वैध अपेक्षा का सिद्धांत-चर्चा की गई।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने अभिनिर्धारित किया:

1.1 दिनांक 13.11.1985 के अधिसूचना से यह स्पष्ट है कि बी. एस. ई. एस. संवर्ग में (सरकारी विद्यालयों में) + 2 व्याख्याताओं के पद वेतनमान 940-1660 में सृजित किए गए थे। राष्ट्रीयकृत विद्यालयों में तैनात + 2 व्याख्याताओं के लिए संवर्ग उसमें निर्दिष्ट नहीं किया गया था, हालांकि पदों को समान वेतनमान में सृजित किया गया था। इसके बाद विज्ञापन सं. 1/87 ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि सरकारी स्कूलों में बी. एस. ई. एस. संवर्ग में + 2 व्याख्याताओं के लिए वेतनमान 940-1660/- में आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसके बाद चयनित लोगों को सरकारी या राष्ट्रीयकृत विद्यालयों में आकस्मिक नियुक्ति दी गई। यह कि पदों का गठन बी. एस. ई. एस. संवर्ग में किया गया था, जो न्यायमूर्ति एस. जे. मुखोपाध्याय द्वारा सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 2445/1994 में दिनांकित 30.09.1997 के निर्णय में पर्याप्त रूप से प्रबलित किया गया है। जिनके माध्यम से + 2 व्याख्याताओं (सरकारी या अधिगृहीत विद्यालयों में तैनात) की दोनों श्रेणियों में कृत्रिम भेदभाव को समाप्त कर दिया गया था। यह एक तथ्य है कि बिहार प्रदेश + 2 व्याख्याता संघ ने मुख्य रूप से सामान्य विज्ञापन-1/87 से और सरकारी

अधिगृहीत विद्यालयों में नियुक्त + 2 व्याख्याताओं के वेतनमान विसंगति के निवारण के लिए अदालत का रुख किया। उन कार्यवाहियों में यह प्रस्तावित किया गया था कि पांचवीं वेतन संशोधन समिति के अनुशंसा को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार ने सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और राष्ट्रीयकृत माध्यमिक विद्यालयों में सेवारत व्याख्याताओं के लिए अलग-अलग वेतनमान प्रदान किए हैं। न्यायालय ने व्याख्याताओं के दोनों समुच्चय के बीच भेदभाव का संज्ञान लिया और समान प्रकृति के कार्य और समान योग्यताओं के साथ समान कर्तव्य का पालन किया। तदनुसार + 2 व्याख्याताओं को अधीनस्थ शिक्षा सेवा (कनिष्ठ चयन ग्रेड) के सदस्यों के लिए निर्धारित वेतनमान अर्थात् 2000-3500/- रुपये के समान वेतनमान का हकदार माना गया। इस तरह, न केवल वेतन अंतर को समाप्त कर दिया गया, बल्कि इस मामले के लिए अधिक महत्वपूर्ण रूप से, सरकारी/राष्ट्रीयकृत + 2 स्कूलों में सेवारत व्याख्याताओं को बी. एस. ई. एस. सदस्यों के समान वेतनमान की पेशकश करके बी. एस. ई. एस. संवर्ग के सदस्यों के समतुल्य माना गया। इसके बाद फैसले के अनुपालन में वित्त विभाग ने दिनांक 10.6.1999 के अधिसूचना के आलोक में अधिगृहीत स्कूलों में + 2 व्याख्याताओं के लिए 2000-3500 रुपये के समान वेतनमान को अधिसूचित किया, जिसके लिए अपने प्रस्ताव में उन्हें प्रभावी रूप से अधीनस्थ शिक्षा सेवा के शिक्षकों के बराबर माना गया। [कंडिका 20,21] [1150-बी-जी]

1.2 उपरोक्त परिस्थिति राज्य के इस तर्क को नकार देगी कि + 2 व्याख्याता बी. एस. ई. एस. संवर्ग से बाहर हैं, केवल इसलिए कि नियुक्ति पत्रों में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति अस्थायी आधार पर पूर्व संवर्ग के पदों के विरुद्ध थी। उल्लेखनीय है कि नियुक्ति आदेश में उल्लिखित वेतनमान रु। 940-1660-, जो बी. एस. ई. एस. के जूनियर चयन ग्रेड (जैसा कि अधिसूचना दिनांक 13.11.1985 और विज्ञापन संख्या 1/87 में दर्शाया गया है) में व्याख्याताओं को दिए जाने वाले वेतनमान से मेल खाता है। नियुक्ति पत्र अन्य सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ भिन्न है, जैसे कि विज्ञापन; बी. एस. ई. एस. में पदों का सृजन करने वाली अधिसूचना (13.11.1985); साथ ही साथ वित्त विभाग की अधिसूचनाएं, जो बी. एस. ई. एस. के सदस्यों के बराबर वेतनमान की पेशकश करती हैं। नियुक्ति पत्र, पद को पूर्व-संवर्ग श्रेणी का होने का सुझाव देने के

बावजूद, विशेष रूप से समान वेतनमान की पेशकश करते थे। बी. एस. ई. एस. संवर्ग में सरकारी विद्यालय के व्याख्याता को। [कंडिकाएँ 22,23] [1150-एच; 1151-ए-डी]

1.3 राज्य के वकील द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि सरन सिंह समिति की सिफारिशों को प्रत्यर्थियों पर लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि + 2 व्याख्याताओं के पद 1977 में अस्तित्व में नहीं थे और केवल 1985 में सृजित किए गए थे। इस पर, यह देखा जाता है कि सरकार 1977 में मौजूद कुल पदों पर अस्पष्ट है; बाद में कितने पद बनाए गए और दिनांक 07.07.2006 को मौजूद पदों की सटीक संख्या। इसलिए, राज्य को इस तरह के विवाद उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जब वे यह खुलासा करने में विफल रहे हैं कि शुरू में कितने पद मौजूद थे और किन चरणों में सरकार द्वारा अतिरिक्त पद बनाए गए थे। इसके अलावा, विलय निर्णय (07.07.2006) में विशेष रूप से यह कहने को छोड़ दिया गया कि केवल 1977 में मौजूद पदों का विलय करने का इरादा था। इसके अलावा, सरकारी निर्णय (06.10.2006), जिसके माध्यम से + 2 व्याख्याताओं को BES के साथ विलय के लाभ से वंचित कर दिया गया था, इस आधार पर स्थापित नहीं किया गया था कि 1977 में + 2 व्याख्याताओं के पद नहीं थे। इसका स्पष्ट कारण यह था कि + 2 व्याख्याताओं को कभी भी बीएसईएस में मान्यता नहीं दी गई। सरकार द्वारा कर्क को पूरक करने का ऐसा प्रयास, जो आदेश में निहित नहीं है, को कानूनी रूप से स्वीकृति नहीं दी जा सकती। इस तरह की स्थिति में, मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली के आधार को याद रखने योग्य है जहां अदालत ने इतनी सही घोषणा की कि एक वैधानिक पदाधिकारी द्वारा एक आदेश की वैधता को उसमें उल्लिखित कारणों से आंका जाना चाहिए और शपथ पत्र के रूप में पूरक कारणों को बाहर रखा जाना चाहिए। राज्य को सरकारी निर्णय में उनके कार्यों को सही ठहराने के लिए अतिरिक्त स्पष्टीकरण जब वे स्पष्ट रूप से अनुपस्थिति हो, लाने की अनुमति नहीं दी गई है। [कंडिकाएँ 24-26] [1151-ई-एच; 1152-ए-बी]

मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली 1978 (1)
एससीसी 405:[1978] 2 एससीआर 272;

पुलिस कमिश्नर, बॉम्बे बनाम गोरधनदास भंजी ए. आई. आर. 1952
एस. सी. 16:[1952] एस. सी. आर. 135-पर निर्भर था।

1.4 सरकारी विद्यालयों में तैनात बी. एस. ई. एस. माध्यमिक स्तर के शिक्षकों और + 2 व्याख्याताओं के बीच मनमाने वर्गीकरण को बनाए रखने के लिए राज्य के वकील द्वारा कोई स्पष्ट अंतर नहीं बताया जा सका। [कंडिका 27] [1152-एफ]

1.5 उल्लेखनीय है कि विज्ञापन 1/87 के अनुसार, कम वेतनमान रु. शिक्षकों को 850-1360/- की पेशकश बी. एस. ई. एस. के संवर्ग में माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को की गई थी + 2 व्याख्याताओं को दिए जाने वाले वेतनमान की तुलना में। इसके अलावा, + 2 व्याख्याताओं के लिए उसमें निर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यता द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर थी, जबकि अन्य पदों के लिए, मात्र स्नातक निर्धारित योग्यता को पूरा करेगा। इस प्रकार, बी. एस. ई. एस. संवर्ग से उत्तरदाताओं का बर्हियान और परिणामस्वरूप बी. ई. एस. से, बी. एस. ई. एस. के शिक्षक सदस्यों के रूप में एक ही सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में निरंतर सेवा प्रदान करने के बावजूद, एक भेदभावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है, जिसमें, बी. एस. ई. एस. शिक्षक जो सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में उत्तरदाताओं से कनिष्ठ (शैक्षणिक योग्यता और वेतनमान के मामले में) हैं को उच्च वेतनमान का लाभ मिला है और शिक्षा विभाग में प्रमुख नियंत्रक पदों पर पदोन्नति के अवसर भी मिले हैं। यह निश्चित रूप से + 2 व्याख्याताओं के अधिकारों का उल्लंघन करेगा जिसे संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 (1) के तहत आश्वस्त किया गया है। ऊपर देखी गई विसंगतिपूर्ण स्थिति को सुधारने के बजाय, सरकार ने मनमाने तरीके से और इस मुद्दे पर बिना मस्तिष्क का प्रयोग किसी किए, 23.06.2009 की अधिसूचना के माध्यम से, आश्चर्यजनक रूप से + 2 व्याख्याताओं को राष्ट्रीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के बराबर स्थान दिया। इसके लिए अस्वीकार्य औचित्य यह दिया गया है कि राष्ट्रीयकृत विद्यालय शिक्षकों के संवर्ग में + 2 व्याख्याताओं की नियुक्ति के परिणामस्वरूप, + 2 व्याख्याताओं को प्रधानाध्यापक के शैक्षणिक पदों के लिए पदोन्नति का अवसर प्रदान किया गया है, और उनके लिए उच्च स्तर का भी प्रावधान किया गया है। हालांकि, + 2 व्याख्याताओं को प्रमुख प्रशासनिक पदों जो बी.ई.एस. संवर्ग में उपलब्ध हैं, पर पदोन्नति के अवसरों से स्पष्ट रूप से वंचित कर दिया जाता है।

बी. ई. एस. अधिकारियों के पक्ष में सरकार की इस तरह की मनमानी कार्रवाई, उन्हें वे विशेष रूप से प्रमुख प्रशासनिक पदों पर कब्जा करने की अनुमति देता है। और मुकदमेबाजी के पिछले दौर में अदालत की कठोर टिप्पणियों के अधीन किया गया। उन्हें पढ़ने के बाद और राज्य द्वारा बी. ई. एस. संवर्ग के लोगों का अत्यधिक समर्थन करने के बार-बार किए गए प्रयासों को ध्यान में रखते हुए, हम यह देखने के लिए विवश हैं कि राज्य सरकार ईमानदारी से काम नहीं कर रही है और उत्तरदाताओं को अस्वीकार करने के अपने अन्यायपूर्ण प्रयास में बनी हुई है, जो वैध रूप से उनके कारण है। [पैरा 28,29] [1152-जी; 1153-ए-ई]

1.6 उनके अन्यायपूर्ण आचरण को इंगित करने के लिए राज्य की निम्नलिखित भेदभावपूर्ण कार्रवाई पर ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहले, बिहार गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालय (नियंत्रण और प्रबंधन का अधिग्रहण) अधिनियम, 1981, + 2 व्याख्याताओं की सेवा शर्तों के निर्धारण को अधिकृत नहीं करता है। 1981 के अधिनियम का उद्देश्य बिहार राज्य में माध्यमिक शिक्षा में सुधार, बेहतर संगठन और विकास के लिए राज्य नियंत्रण के तहत गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के "अधिग्रहण" का प्रावधान करना था। सरकारी स्कूलों में + 2 व्याख्याताओं को अधिग्रहित विद्यालय के शिक्षकों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है क्योंकि 1981 के अधिनियम में 'शिक्षक' की परिभाषा अधिग्रहित माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक' को दर्शाती है। धारा 9 राज्य सरकार को केवल माध्यमिक विद्यालयों (लेकिन सरकारी विद्यालयों की नहीं) के प्रधानाध्यापक, शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवा शर्तों को निर्धारित करने में सक्षम बनाती है। 1981 के अधिनियम की न तो धारा 9 और न ही धारा 15 राज्य सरकार को अधिनियम के दायरे का विस्तार करने के लिए नियमों में संशोधन करने का अधिकार देती है। इस प्रकार, अधिसूचना (23.06.2009) को लागू करने वाले 2009 के नियम, जिन्हें 1981 के अधिनियम की धारा 15 के साथ सह पठित धारा 9 के तहत बनाया जाना है, 1981 के अधिनियम के प्रावधानों और उद्देश्य से भिन्न पाए गए हैं। अधिसूचना (23.06.2009) 1981 के अधिनियम के दायरे से बाहर है और इसलिए 1981 के अधिनियम में आवश्यक संशोधनों के बिना जारी नहीं की जा सकती थी। [कंडिका 30] [1153-एफ-एच; 1154-ए-बी]

1.7 अधिसूचना (23.06.2009) कानूनी रूप से असमर्थनीय होने के अलावा, मूल वैध अपेक्षाएँ होने से भी इनकार करेगी। उत्तरदाताओं ने बी. एस. ई. एस. संवर्ग के सरकारी विद्यालय के सदस्यों के रूप में पोषित किया। शिक्षा विभाग की प्रशासनिक शाखा में नियंत्रक/पर्यवेक्षी पदों पर उत्तरदाताओं के लिए पदोन्नति के अवसरों के अभाव में अस्वीकृति विशेष रूप से स्पष्ट है। उत्तरदाता, + 2 व्याख्याताओं के रूप में अपनी सेवा के दौरान, सामान्य वरिष्ठता सूची में उनकी अंतर-वरिष्ठता के आधार पर विभाग में उच्च पद पर कब्जा करने की यथोचित उम्मीद करेंगे, लेकिन सरकार की कार्रवाई, राष्ट्रीयकृत विद्यालयों के शिक्षकों के साथ +2 व्याख्याताओं के कृत्रिम उप-समूह के माध्यम से प्रतिबंधित आवाजाही ने उनकी अपेक्षाओं को अनुचित रूप से झुठलाया है। यह सुझाव देगा कि उत्तरदाताओं को अपीलकर्ताओं द्वारा धोखा दिया गया था। [पैरा 31] [1154-सी-ई]

1.8 वर्तमान मामले में, राष्ट्रीयकृत विद्यालयों के शिक्षकों के साथ + 2 व्याख्याताओं को शामिल करने के राज्य के असमान निर्णय में शक्ति का दुरुपयोग स्पष्ट है, 1985 की अधिसूचना के माध्यम से विपरीत प्रतिनिधित्व के बावजूद, जिसने + 2 व्याख्याता पदों का सृजन किया और 1987 के विज्ञापन के तहत, जिसके तहत उत्तरदाताओं ने सेवा में प्रवेश किया। अनुमानित पाठ्यक्रम से इस तरह के स्पष्ट प्रस्थान मनमानेपन की गंध और बी. ई. एस. कैडर के हितों की चुनिंदा रूप से रक्षा करने के लिए सरकारी कार्रवाई, न्याय और निष्पक्ष कृत्य के नियमों के अनुरूप नहीं है। जहां मूल वैध अपेक्षा प्राधिकरण की शक्ति से परे नहीं है और न्यायालय इसकी रक्षा करने की स्थिति में है, राज्य को पाठ्यक्रम बदलने और उत्तरदाताओं की वैध अपेक्षा पर विश्वास करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जैसा कि सर्वविदित है, नियमितता, पूर्वानुमेयता, निश्चितता और निष्पक्षता सरकार की कार्रवाई के लिए आवश्यक सहवर्ती हैं और हमारी राय में बिहार सरकार निषिद्ध निर्णय द्वारा अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखने में विफल रही, जिससे कि हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से प्रतिबंध लगाया गया था। [कंडिकाएँ 33,34] [1154-जी-एच; 1155-ए-डी]

आर बनाम उत्तर और पूर्वी डेवोन स्वास्थ्य प्राधिकरण पूर्व पी
कफलान, [2001] क्यू. बी. 212-संदर्भित।

1.9 पहले के दौर में, यह अदालत बिहार राज्य सरकार माध्यमिक विद्यालय शिक्षक संघ बनाम बिहार शिक्षा सेवा संघ और बिहार राज्य सरकार माध्यमिक विद्यालय शिक्षक संघ बनाम अशोक कु. सिन्हा में उससे बहने वाली अवमानना कार्यवाही में भी। प्रवाहित बी. ई. एस. के साथ बी. एस. ई. एस. के एकीकरण में बाधा डालने के बी. ई. एस. संघ के जोरदार प्रयासों और बी. ई. एस. संघ के लोगों के हितों की रक्षा करने में बिहार सरकार के अनुचित आचरण का आलोचनात्मक रूप से उल्लेख किया। विलय के फैसले की उन पिछली चुनौतियों को अदालत ने खारिज कर दिया था। इस प्रकार बी. ई. एस. संघ को, पक्ष के रूप में, अब वह हासिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो वे पिछले मुकदमों में हासिल करने में विफल रहे थे। इस तरह की परिस्थितियों में यह कहा जाना चाहिए कि एक प्रतिकूल मुकदमेबाजी में, बाड़ लगाने वालों को अग्रणी धावकों के बराबर नहीं रखा जा सकता है। [कंडिका 36] [1156-ए-सी]

1.10 बी. एस. ई. एस. कैडर में + 2 व्याख्याताओं के पद सृजित किए गए थे। यह अधिसूचना (13.11.1985) में और विज्ञापन संख्या 1/87 में भी दर्शाया गया था। माध्यमिक विद्यालयों में बी. एस. ई. एस. शिक्षकों के साथ वेतनमान समानता प्रदान करने में सरकार को आचरण इस तरह के निष्कर्ष को मजबूत करती है। ये प्रासंगिक और उपस्थित परिस्थितियाँ नियुक्ति पत्रों में पूर्व-संवर्ग संदर्भ के निहितार्थ को ग्रहण करती हैं। यह भी स्पष्ट है कि दिनांकित 23.06.2009 अधिसूचना के माध्यम से एनकैडरमेंट ने लोगों की वैध अपेक्षाओं को निराश किया है। विशेष रूप से शिक्षा विभाग के प्रशासनिक शारता में प्रमुख पदों पर उत्तरदाताओं की पदोन्नति को अवरुद्ध करने के अनुचित उद्देश्य के साथ किया गया था, राज्य की कार्रवाई में इस तरह की अनुचितता को न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। परिणामस्वरूप हम + 2 व्याख्याताओं के पक्ष में निषिद्ध निर्णय में तर्क और निष्कर्ष के साथ अपनी मंजूरी दर्ज करते हैं कि वे वास्तव में अधीनस्थ शिक्षा सेवा के सदस्य हैं और राज्य सरकार को विज्ञापन संख्या 1/87 के अनुसार नियुक्त + 2 व्याख्याताओं को अधीनस्थ शिक्षा सेवा के सदस्यों के रूप में मानना चाहिए और अधीनस्थ शिक्षा सेवा के सदस्यों के रूप में सभी सेवा लाभ उन्हें दिए जाने चाहिए। [कंडिका 37] [1156-सी-एफ]

बिहार राज्य बनाम जनार्दन राय, (2012) 13 एससीसी 59; बिहार राज्य सरकार माध्यमिक विद्यालय शिक्षक संघ बनाम बिहार शिक्षा सेवा संघ (2012) 13 एससीसी 33:[2012] 11 एस. सी. आर. 50; बिहार राज्य सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक संघ बनाम अशोक कुमार सिन्हा (2014) 7 एस. सी. सी. 416:[2014] 7 एस. सी. आर. 371-संदर्भित।

बिहार शिक्षा सेवा संघ बनाम बिहार राज्य (2008) 1 बी. एल. जे. आर. 431-संदर्भित।

आर. वी. अंतर्देशीय राजस्व आयुक्त, पूर्व पक्ष एम. एफ. के. अंडरराइटिंग एजेंट्स लिमिटेड [1990] 1 डब्ल्यू. एल. आर. 1545

वाद विधि संदर्भ

[2012] 11 एससीआर 50	पारा 7
[2014] 7 एससीआर 371	पारा 8
[1978] 2 एससीआर 272	पारा 25
[1952] एससीआर 135	पारा 26

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील No.7364/2014।

2008 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. No.18793 में पटना में पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 30.04.2013 के निर्णय और आदेश से।

2014 की सिविल अपील Nos.7371,7373,7365,7368 और 7374।

पी. एस. पटवालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, अभिनव मुखर्जी, सुश्री प्रतिष्ठा विज, सुश्री बिहू शर्मा, अधिवक्ता, अपीलार्थियों के लिए अधिवक्तागण।

विजय हंसारिया, वी. एन. सिन्हा, विनय नवारे, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री शर्मिला उपाध्याय, अखिलेश कुमार पांडे, सुश्री शालिनी चंद्र, शांतनुसागर, गुंजेश रंजन, अनिल कुमार, सत्यजीत कुमार, सुश्री ग्वेन कार्तिका, सुश्री दिव्या रॉय, अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति

निर्णय

1. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को सुना। नवरे और श्री वी. एन. सिन्हा प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ताओं को भी सुना। मध्यस्थता करने वाले का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विजय हंसारिया करते हैं।

2. यहां चुनौती 2008 के दीवानी याचिका क्षेत्राधिकारवाद संख्या 18793 में दिनांक 30.4.2013 के निर्णय और आदेश के अनुरूप मामलों की है, जिसमें पटना में उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने रिट याचिकाकर्ताओं को राहत प्रदान की और घोषणा की कि विज्ञापन संख्या 1/87 के अनुसरण में नियुक्त दोनों सरकारी और राष्ट्रीयकृत (अधिगृहीत) माध्यमिक विद्यालयों में + 2 व्याख्याता हमेशा बिहार अधीनस्थ शिक्षा सेवा (संक्षेप में बीएसईएस) का हिस्सा रहे हैं और इस प्रकार वे बिहार शिक्षा सेवा सेवा वर्ग II (संक्षेप में बीईएस के लिए) के साथ 07.07.2006 के सरकार के निर्णय के अनुसारणों विषय के हकदार हैं। अदालत ने 23 जून, 2009 को जारी अधिसूचना में भी हस्तक्षेप किया, जिसमें राष्ट्रीयकृत माध्यमिक विद्यालयों में + 2 व्याख्याताओं को शिक्षकों के साथ संलग्न करने का प्रावधान था, जिसमें पाया गया था कि यह बिहार शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 790 का उल्लंघन है और सरकार के दिनांक 07.07.2006 के निर्णय और विज्ञापन संख्या 1/87 के विपरीत है। इस प्रकार, ६. १०. २००६ दिनांकित आक्षेपित आदेश और २३. ६. २००९ दिनांकित अधिसूचना रद्द कर दी गई।

3. प्रारंभ में, यह आवश्यक है कि प्रासंगिक पृष्ठभूमि और मुकदमेबाजी के पिछले दौरों पर ध्यान दिया जाए, जिसके कारण वर्तमान कार्यवाही हुई।

पृष्ठभूमि

4. बिहार सरकार ने बिहार सिविल सेवा में ठहराव आदि की समस्या के समाधान और पदोन्नति के अवसरों पर विचार करने के लिए 1976 में श्री सरन सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। बिहार के संबंध में समिति की सिफारिशों शिक्षा विभाग ने बिहार में विविध संवर्ग (शिक्षकों, प्रोफेसरों आदि सहित, जिनके पास पदोन्नति की कोई निश्चित संभावना नहीं थी) में 59 पदों का एकीकरण शामिल किया। शिक्षा सेवा संवर्ग इन्हीं के अनुरूप इन सिफारिशों के आधार पर सरकार ने नियमावली जारी किया जिसमें 11. 04. 1977 को, अधीनस्थ शिक्षा सेवा के पुरुष और महिला संवर्ग के शिक्षकों के 2465 स्वीकृत पदों को बिहार शिक्षा सेवा कक्षा II में उत्क्रमित किया गया, जो 01.01.1977 से प्रभावी होगा।

5. बीएसईएस के शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाले एसोसिएशन ने दिनांक 11.04.1977 के संकल्प के अनुसरण में बीईएस के साथ अपने कैडर के विलय का दावा करते हुए पटना उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। रिट याचिका 02.02.2000 को मंजूर की गई और बाद में एलपीए और एसएलपी को खारिज कर दिया गया। चूंकि विलय के परिणामी लाभ अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे, इसलिए एक और रिट याचिका दायर की गई थी, जिसे एलपीए में स्वीकार और पुष्टि की गई थी। इस अदालत के समक्ष सिविल अपील 19.04.2006¹ को खारिज कर दी गई थी, जिसमें रिट याचिकाकर्ताओं, अर्थात् बीएसईएस के सदस्यों के पक्ष में परिणाम का फैसला किया गया था।

6. इस न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय के अनुपालन में, दिनांक 07.07.2006 को एक संकल्प जारी किया गया था, जिसके द्वारा बीएसईएस (शिक्षण शाखा) (पुरुष और महिला शिक्षक) के संवर्ग को 01.01.1977 से बीईएस, कक्षा-II के साथ विलय कर दिया गया था। इस स्तर पर बीईएस के सदस्य एसोसिएशन ने आपसी वरिष्ठता पर प्रतिकूल प्रभाव की आशंका जताते हुए विलय को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय के एक एकल न्यायाधीश ने 31 अक्टूबर, 2007² को डब्ल्यूपी की

1 बिहार राज्य बनाम जनार्दन राय, (2012) 13 एससीसी 59

2 बिहार एजुकेशन सर्विस एसोसिएट बनाम बिहार राज्य, (2008) 1 बीएलजेआर 431

अनुमति दी। इस फैसले के तुरंत बाद राज्य सरकार ने (एलपीए के परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना) एकल न्यायाधीश के फैसले के अनुपालन में 19 नवंबर, 2007 को जारी अधिसूचना के माध्यम से विलय प्रस्ताव को रद्द कर दिया, जिससे वित्तीय लाभ वापस ले लिया गया।

7. एकल न्यायाधीश के निर्णय की खंडपीठ द्वारा पुष्टि की गई। परिणामी एसएलपी और उससे अपील को अंततः इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23.11.2012³ के एक विस्तृत फैसले में अनुमति दी गई थी। नतीजतन, प्रारंभिक सरकारी निर्णय (07.07.2006), जिसके द्वारा बीएसईएस शिक्षकों (शिक्षण शाखा) के संवर्ग का बीईएस के साथ विलय कर दिया गया था, को बहाल कर दिया गया और राज्य को तदनुसार कार्य करने का निर्देश दिया गया। निष्कर्ष पर पहुंचने में, उच्चतम न्यायालय ने निश्चित रूप से कहा कि एक बार विलय हो जाने के बाद मुकदमेबाजी के पहले दौर में इस अदालत द्वारा इस फैसले को पहले ही बरकरार रखा गया था और राज्य द्वारा भी कार्रवाई की गई थी, उच्च न्यायालय को बीईएस एसोसिएशन के कहने पर मामले को फिर से नहीं खोलना चाहिए था। उच्चतम न्यायालय ने भी अपने फैसले में सरकार के उतार-चढ़ाव भरे रुख और अनिर्णय की स्थिति पर नाराजगी व्यक्त की।

8. तथापि, सरकार इन दोनों काडरों के विलय के परिणामस्वरूप पूर्ववर्ती स्थिति की बहाली के पहलू पर टालमटोल कर रही थी। अंततः बिहार राज्य में बीएसईएस के असंतुष्ट सदस्यों द्वारा अवमानना की कार्यवाही शुरू की गई। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल टीचर्स एसोसिएशन बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय अशोक कुमार सिन्हा⁴, जहां इस अदालत को अवलोकन करने का अवसर मिला था बिहार शिक्षा सेवा नियम, 2014 दिनांक 23.11.2012⁵ को सुनाए गए फैसले के अनुरूप नहीं थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरकार ने 2014 के नियमों के तहत बीईएस (विलय की गई इकाई) में चार उप-संवर्ग शुरू किए थे, परिणामस्वरूप एक सब-कैडर को दूसरे में बदलने को छोड़कर। बीएसईएस में शामिल लोगों को टीचिंग सब-कैडर में रखा गया था, जहां प्राचार्य सबसे अधिक पदोन्नति

3 बिहार राज्य सरकार माध्यमिक विद्यालय शिक्षक संघ बनाम बिहार शिक्षा सेवा संघ, (2012) 13 एस.सी.सी

4 (2014) 7 एससीसी 416

5 पूर्वोक्त

वाला पद होगा, जबकि बीईएस में शामिल लोगों को प्रशासनिक सब-कैडर में रखा गया था, जो पहले की तरह स्कूल प्रशासन को नियंत्रित करते रहेंगे। शिक्षण उप-संवर्ग फिर से अलग-थलग पड़ गया था और एक "मरने वाले कैडर" के रूप में भी माना जाता है। इस अधिनियम के माध्यम से सरकार की ओर से, बीएसईएस में शामिल लोगों को प्रशासनिक उप-कैडर में स्थानांतरित और तैनात होने से प्रभावी रूप से रोका गया था। स्पष्ट रूप से, नियम 27 ने अन्य उप-कैडर के सदस्यों को निर्धारित योग्यताओं की पूर्ति पर एक अलग कैडर में शामिल करने का विकल्प दिया, लेकिन शिक्षण उप-कैडर को ऐसा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं कराया गया था।

9. बीईएस कैडर के मुकाबले बीएसईएस कैडर को समान लाभ से वंचित करने के उपरोक्त प्रयास को ध्यान में रखते हुए, उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण रूप से कहा कि बिहार सरकार द्वारा 2014 के नियमों का प्रख्यापन, विलय से पहले की स्थिति को बनाए रखने और की अन्यायपूर्ण रूप से रक्षा करने के लिए, चक्रीय षड्यंत्र के समान है। तदनुसार, संयुक्त ग्रेडेशन सूची को पुनर्जीवित करने या विलय के वास्तविक उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए नियम 27 में उपयुक्त संशोधन करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे।

वर्तमान मुकदमा

10. वर्तमान अपील के लिए आवश्यक तथ्यों पर अब ध्यान दिया जाना है। बिहार सरकार ने 1979 में 10 + 2 + 3 शिक्षा पैटर्न (यानी स्कूली शिक्षा के 10 साल, उच्च माध्यमिक के 2 साल और कॉलेज स्नातक के 3 साल) की शुरुआत की। प्रासंगिक समय में, पर्याप्त बुनियादी ढांचे के अभाव में, कॉलेजों द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। + 2 स्तर का शिक्षण प्रदान करने के लिए + 2 व्याख्याताओं के पद सृजित करने की मांग की गई थी।

11. उपर्युक्त निर्णय के अनुसरण में, बिहार सरकार ने 13.11.1985 के लिए अधीनस्थ सेवा चयन ग्रेड में व्याख्याता के लिए 148 पदों सरकारी स्कूलों और राष्ट्रीयकृत स्कूलों में व्याख्याता के 264 पदों को भरने के लिए मंजूरी दी बशर्ते कि दोनों श्रेणियों के लेक्चररों के लिए 940-1660 रुपये का समान वेतनमान दिया जाए। यह

रेखांकित किया जा सकता है कि बी.एस.ई.एच. चयन ग्रेड में केवल + 2 लेक्चररों के पद हैं। इसके बाद बिहार स्कूल सर्विस बोर्ड ने विज्ञापन संख्या 1/87 जारी कर चयन की प्रक्रिया शुरू की। इस विज्ञापन में निम्नलिखित बातें परिलक्षित हुई:-

कक्षा-I:

+ 2 स्ट्रीम (इंटर लेवल) सरकारी लड़कों/लड़कियों के हाई स्कूलों में अधीनस्थ सेवा ग्रेड में व्याख्याता।

* * * * *

* * * * *

* * * * *

शैक्षणिक योग्यता:

कैस-I पदों के लिए:द्वितीय श्रेणी – किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री।

अधीनस्थ शिक्षा सेवा (शिक्षा शाखा) के कक्षा-II और III पदों के लिए पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों के लिए:

संबंधित विषय में प्रशिक्षित स्नातक (एसआईसी)

* * * * *

* * * * *

* * * * *

उम्मीदवारों को पदों के लिए आवश्यक योग्यता के रूप में अधीनस्थ सेवा ग्रेड में व्याख्याता के पदों और 2 और डिवीजन में निर्धारित स्नातकोत्तर के लिए आवेदन करना था।

12. इसके बाद चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश जारी किए गए, जिससे पता चलता है कि + 2 स्कूलों में नए सृजित एक्स-कैंडर पदों पर नियुक्तियां तदर्थ और अस्थायी आधार पर की जा रही थीं। समय-समय पर जारी विभिन्न सरकारी अधिसूचनाओं के तहत इन अस्थायी नियुक्तियों को आगे के शैक्षणिक वर्षों के लिए जारी रखा गया।

13. वर्तमान मुकदमेबाजी का मुख्य कारण यह है कि विलय के निर्णय (07.07.2006) को लागू करते समय सरकार द्वारा 06.10.2006 को एक अपवाद

बनाया गया था, जिसके तहत बीईएस में विलय के लाभ से सरकारी स्कूलों में + 2 व्याख्याताओं को वंचित कर दिया गया था। विचलन के लिए प्रकट रूप से आधार यह था कि + 2 व्याख्याताओं को कभी भी बीएसईएस कैडर के हिस्से के रूप में माना या मान्यता नहीं दी गई थी। इस प्रकार, + 2 व्याख्याताओं के व्यथित होने के कारण, सीडब्ल्यूजेसी 14009/2006 और अन्य संबंधित रिट याचिकाओं में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें दावा किया गया कि उनके पद बीएसईएस में सृजित किए गए थे। यह स्थिति विज्ञापन संख्या 1/87 में भी दर्शायी गई थी जिसमें उन्हें भर्ती किया गया। इन मामलों में बीईएस के साथ विलय के लाभों का दावा किया गया था।

14. उच्च न्यायालय में उपर्युक्त रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान, राज्य सरकार ने 23.06.2009 को धारा 9 के साथ पठित धारा 15 के तहत शक्तियों का प्रयोग किया। बिहार गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालय (नियंत्रण और प्रबंधन का अधिग्रहण) अधिनियम, 1981 के तहत बिहार सरकार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (सेवा शर्तें) (संशोधन) नियम, 2009 (संक्षेप में, 2009) बनाए गए नियम) और विशेष रूप से बिहार अधिग्रहण माध्यमिक विद्यालय (सेवा शर्तें) नियम, में संशोधन करने का निर्णय लिया। 2009 के संशोधन के माध्यम से, व्याख्याता को + 2 व्याख्याता के रूप में परिभाषित किया गया था, जिन्हें विज्ञापन संख्या 1/87 के अनुसार नियुक्त किया गया था और उन्हें राष्ट्रीयकृत माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ संलग्न किया गया था।

15. राष्ट्रीयकृत विद्यालय श्रेणी के शिक्षकों के साथ उपरोक्त संबद्धता के परिणामस्वरूप, + 2 व्याख्याताओं द्वारा उच्च न्यायालय में और चुनौती दी गई। यह विशेष रूप से प्रतिवाद किया गया था कि + 2 राष्ट्रीयकृत स्कूलों में व्याख्याताओं को हमेशा माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों से ऊपर माना गया है और इसलिए दो असमानताओं को बढ़ावा देना अन्यायपूर्ण है।

16. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि + 2 लेक्चरर, जिन्हें विज्ञापन संख्या 1/87 के अनुसरण में नियुक्त किया गया था, हमेशा बीएसईएस का एक हिस्सा थे। इस प्रकार समापन करते हुए, उच्च न्यायालय ने नोट किया कि विज्ञापन संख्या 1/87 में विशेष रूप से अधीनस्थ शिक्षा सेवा का उल्लेख किया

गया है। बिहार शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 790 से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि 'प्लस टू' माध्यमिक विद्यालयों के अलावा, जहां व्याख्याता शिक्षा प्रदान कर रहे थे, उन्हें बीएसईएस के हिस्से के रूप में परिकल्पित किया गया था। वर्तमान प्रत्यर्थियों के पक्ष में राय व्यक्त करते हुए, न्यायालय ने सीडब्ल्यूजेसी संख्या 2445/1994 में न्यायमूर्ति एस. जे. मुखोपाध्याय के पूर्व निर्णय (30.9.1997) का यह कहने के लिए अवलंब लिया कि दोनों में से किसी भी सरकारी में पोस्टिंग या प्रासंगिक समय में राष्ट्रीयकृत स्कूल भाग्यशाली थे और + 2 व्याख्याताओं के अधिकार किसी भी स्कूल में उनकी आकस्मिक पोस्टिंग पर निर्भर नहीं करेंगे। खंडपीठ ने यह भी पाया कि नियुक्ति पत्रों में पूर्व कैडर पदों के संदर्भ और + 2 व्याख्याताओं को मुख्यधारा के शिक्षक के कैडर में शामिल करने में सरकार द्वारा निर्णय की कमी उन्हें उनके वैध अधिकारों से वंचित नहीं करेगी। न्यायालय ने बिहार सरकार के अनिर्णय और उतार-चढ़ाव वाले रुख पर कड़ा रुख अपनाया जिसके कारण मुकदमों की बाढ़ आ गई। इस प्रकार, प्रत्यर्थियों को इस घोषणा के साथ राहत प्रदान की गई कि दोनों स्कूलों के + 2 लेक्चरर, जिन्हें विज्ञापन संख्या 1/87 के तहत नियुक्त किया गया था, वे हमेशा बीएसईएस और परिणामस्वरूप बीईएस का हिस्सा रहे हैं।

17. आक्षेपित निर्णय का विरोध करते हुए पटवालिया बिहार राज्य की ओर से प्रस्तुत करते हैं कि नियुक्ति पत्रों में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि + 2 व्याख्याताओं की नियुक्ति पूर्व पत्र पर की गई है और उनके अलग संवर्ग के गठन के संबंध में निर्णय जल्द ही लिया जाना था। इसके अलावा, 1977 में जब बीएसईएस का बीईएस में विलय करने का नीतिगत निर्णय लिया गया था, तब + 2 व्याख्याताओं के पद अस्तित्व में नहीं थे। श्री पटवालिया के अनुसार, एनकेडरेशन में है। बिहार गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालय (नियंत्रण और प्रबंधन का अधिग्रहण) अधिनियम, अपीलार्थी का अगला कथन यह है कि मुकदमेबाजी के पिछले दौरों में प्रत्यर्थियों ने केवल बीएसईएस के सदस्यों के साथ वेतनमान की समानता की मांग की थी और इस प्रकार वर्तमान दौर में उच्च न्यायालय में रिट याचिका अत्यधिक विलंब के अलावा रचनात्मक न्याय के सिद्धांतों द्वारा वर्जित है। राज्य के वकील के अनुसार बीएसईएस, विज्ञापन में चयन ग्रेड का उल्लेख केवल व्याख्याता के पद के लिए ग्रेड की पहचान करने के लिए किया गया था, लेकिन बीएसईएस संवर्ग में उन्हें शामिल करने के उद्देश्य के लिए नहीं।

18. दूसरी ओर, + 2 व्याख्याताओं (प्रत्यर्थियों) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विनय नवरे तर्क देंगे कि दिनांक 13.11.1985 के नीतिगत निर्णय की शर्तें और साथ ही विज्ञापन संख्या 1/87 स्पष्ट हैं और यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सरकारी स्कूलों में +2 व्याख्याताओं के पद बीएसईएस के कनीय चयन ग्रेड में सृजित किए गए हैं। 1981 के अधिनियम में गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के अधिग्रहण को नियंत्रित किया गया है और सरकारी विद्यालयों के + 2 व्याख्याताओं को राष्ट्रीयकृत विद्यालयों में भर्ती करने के लिए 1981 के अधिनियम के तहत बनाए गए 2009 के नियमों द्वारा पेश की गई अधिसूचना को श्री नवरे ने 1981 के अधिनियम में संबंधित संशोधनों के बिना न तो निर्णायक और न ही कानूनी रूप से स्वीकार्य बताया है।

19. बदले में, श्री विजय हंसारिया, हस्तक्षेपकर्ताओं अर्थात् बिहार शिक्षा सेवा संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि बीईएस एसोसिएशन के सदस्यों को अपनी नियुक्ति की प्रारंभिक तारीख से प्रतिवादियों के बीईएस कैडर में विलय के कारण वरिष्ठता को नहीं खोना चाहिए। यह बिहार शिक्षा सेवा प्रथम संवर्ग और बिहार एजुकेशन सर्विस द्वितीय वर्ग नियमावली 1973 की ओर इशारा करने और यह प्रस्तुत करने के अलावा है कि जब तक उचित नियमों में संशोधन नहीं किया जाता है, तब तक न तो कार्यकारी कार्रवाई और न ही अदालत के आदेश कोई रास्ता हो सकता है। उन्होंने आगे दलील दी कि यह मामला राज्य की नीति के दायरे में आता है। पूर्व संवर्ग होने के नाते नियुक्तियों के पहलू पर जोर दिया गया है।

विचार-विमर्श और निष्कर्ष

20. दिनांक 13.11.1985 की अधिसूचना से यह स्पष्ट है कि + 2 व्याख्याताओं (सरकारी स्कूलों में) के पद 940-1660/- के वेतनमान में बीएसईएस के कैडर में सृजित किए गए थे। राष्ट्रीयकृत स्कूलों में तैनात + 2 व्याख्याताओं के कैडर को निर्दिष्ट नहीं किया गया था, हालांकि पद 34 के पृष्ठ 17 में सृजित किए गए थे। बाद में विज्ञापन संख्या 1/87 में भी स्पष्ट रूप से कहा गया कि सरकारी स्कूलों में + 2 व्याख्याताओं के लिए आवेदन 940-1660/- के वेतनमान में बीएसईएस संवर्ग में

आमंत्रित किए गए थे। इसके बाद चयनित लोगों को सरकारी या राष्ट्रीयकृत विद्यालयों में आकस्मिक नियुक्ति दी गई।

21. यह कि बीएसईएस संवर्ग में पदों का गठन किया गया था, न्यायमूर्ति एस. जे. मुखोपाध्याय द्वारा सीडब्ल्यूजेसी संख्या 2445/1994 में दिनांक 30.09.1997 के निर्णय में पर्याप्त रूप से सुदृढ़ किया गया है, जिसके माध्यम से + 2 व्याख्याताओं (या तो सरकारी या ले लिए गए स्कूलों में तैनात) की दोनों श्रेणियों में कृत्रिम विभेद को मिटा दिया गया था। वह है - यह एक तथ्य है कि बिहार + 2 व्याख्याता एसोसिएशन ने मुख्य रूप से सरकार में नियुक्त और स्कूलों को अपने कब्जे में लेने वाले + 2 व्याख्याताओं के वेतनमान की विसंगति को दूर करने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जो सामान्य विज्ञापन संख्या 1/87 से बाहर था। उन कार्यवाहियों में यह अनुमान लगाया गया था कि पांचवां वेतन संशोधन स्वीकार करते समय समिति की सिफारिशें, राज्य सरकार सेवारत व्याख्याताओं के लिए विशिष्ट वेतनमान का प्रावधान किया गया है। सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और राष्ट्रीयकृत माध्यमिक विद्यालयों में। न्यायालय ने व्याख्याताओं के दोनों सेटों के बीच भेदभाव का संज्ञान लिया और समान कार्य और समान योग्यताओं के साथ समान कर्तव्य का पालन किया। तदनुसार + 2 व्याख्याताओं को अधीनस्थ शिक्षा सेवा (कनिष्ठ चयन ग्रेड) के सदस्यों के लिए निर्धारित वेतनमान अर्थात् 2000-3500/- रुपये के समान वेतनमान का हकदार माना गया। इस तरह न केवल वेतन अंतर को समाप्त किया गया, बल्कि इस मामले में अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी/राष्ट्रीयकृत + 2 स्कूलों में सेवारत व्याख्याताओं को बीएसईएस सदस्यों से जुड़े समान वेतनमान की पेशकश करके बीएसईएस कैडर के सदस्यों के बराबर माना गया। इसके बाद फैसले के अनुपालन में वित्त विभाग ने अधिगृहीत स्कूलों में + 2 व्याख्याताओं के लिए 2000-3500 रुपये के समान वेतनमान को अधिसूचित किया, जिसके लिए दिनांक 10.06.1999 के अपने प्रस्ताव में उन्हें प्रभावी रूप से अधीनस्थ शिक्षा सेवा के शिक्षकों के बराबर माना गया।

22. उपरोक्त स्थिति राज्य की अवधारणा को नकारती है। यह तर्क कि + 2 व्याख्याताओं बीएसईएस कैडर के बाहर हैं, क्योंकि नियुक्ति पत्रों में कहा गया था कि उनकी नियुक्ति अस्थायी आधार पर एक्स-कैडर पदों के खिलाफ थी। महत्वपूर्ण बात यह

है कि नियुक्ति आदेश में उल्लिखित वेतनमान 940-1660/- था, जो बीएसईएस के कनिष्ठ चयन ग्रेड में व्याख्याताओं को दिए गए वेतनमान (जैसा कि दिनांक 13.11.1985 की अधिसूचना और विज्ञापन संख्या 1/87 में परिलक्षित होता है) से मेल खाता था।

23. उपरोक्त से उल्लेखनीय बात यह है कि नियुक्ति पत्र अन्य सभी प्रासंगिक दस्तावेजों जैसे विज्ञापन, अधिसूचना (13.11.1985) के साथ-साथ वित्त विभाग की अधिसूचनाओं में पदों के सृजन के साथ-साथ बीएसईएस के सदस्यों के बराबर वेतनमान की पेशकश करता है। प्रत्यर्थियों के विद्वान का यह पहलू इसलिए उनके निवेदन में सही प्रतीत होता है कि नियुक्ति पत्रों में पूर्व संवर्ग का उल्लेख केवल सरकारी माध्यमिक विद्यालयों (बीएसईएस के सदस्यों) में सहायक शिक्षकों की चिंता को कम करने के लिए किया गया था, जिन्हें अपनी वरिष्ठता में कमी की आशंका थी। ऐसी परिस्थितियों में, हमारी राय में, नियुक्ति पत्रों में पूर्व-कैडर के संदर्भ में, प्रत्यर्थियों की दलीलों का समर्थन करते हुए, अन्य सभी समकालीन दस्तावेजों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

24. राज्य के अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि सरन सिंह समिति की सिफारिशों को प्रत्यर्थियों पर लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि + 2 व्याख्याताओं के पद 1977 में अस्तित्व में नहीं थे और केवल 1985 में सृजित किए गए थे। इस पर, यह देखा गया है कि सरकार 1977 में विद्यमान कुल पदों के बारे में, जो बाद में सृजित किए गए थे और पदों की सटीक संख्या के बारे में, जो 07.07.2006 को विद्यमान थी, काफी हद तक अस्पष्ट है। इसलिए, राज्य को इस तरह के तर्क उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जब वे यह बताने में विफल रहे हैं कि कितने पद थे। प्रारंभ में और जिन चरणों में सरकार द्वारा अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया था। इसके अलावा, विलय के निर्णय (07.07.2006) में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया कि 1977 में केवल विद्यमान पदों का ही विलय किया जाना था।

25. इसके अलावा, सरकारी निर्णय (06.10.2006), जिसके माध्यम से + 2 व्याख्याताओं को बीईएस के साथ विलय के लाभ से वंचित किया गया था, इस आधार पर स्थापित नहीं किया गया था कि + 2 व्याख्याताओं के पद 1977 में पैदा नहीं हुए थे।

इसका स्पष्ट कारण यह था कि + 2 व्याख्याताओं को कभी भी बीएसईएस में मान्यता नहीं दी गई। ऐसी स्थिति में, मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नई दिल्ली⁶ का निर्णय याद रखने योग्य है जहां न्यायालय ने सही ढंग से यह घोषणा की कि किसी वैधानिक पदाधिकारी द्वारा दिए गए आदेश की वैधता का निर्णय उसमें उल्लिखित कारणों से किया जाना चाहिए और शपथपत्रों के आकार में अनुपूरक कारणों को बाहर रखा जाना चाहिए।

26. इसी बात को ध्यान में रखते हुए, हम अपने आप को पुलिस अधीक्षक, मुंबई बनाम गोवर्धन दास भाँजी में दी गई राय की भी याद दिला सकते हैं। जहां जे. विवियन बोस⁷ ने प्रखर रूप से लिखा था:

"सार्वजनिक आदेश, सार्वजनिक रूप से किए गए, सांविधिक प्राधिकार का अर्थ उस अधिकारी द्वारा बाद में दिए गए स्पष्टीकरण के आलोक में नहीं लगाया जा सकता है जो उसका क्या मतलब था, या उसके मन में क्या था, या वह क्या करना चाहता था। लोक प्राधिकारियों द्वारा किए गए सार्वजनिक आदेशों का आशय जनता पर प्रभाव डालना है और उनका आशय उन लोगों की कार्रवाइयों और आचरण को प्रभावित करना है, जिन्हें वे संबोधित करते हैं।"

उपरोक्त से संकेत लेते हुए, यह स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए कि राज्य को अपने कार्यों को उचित ठहराने के लिए अतिरिक्त स्पष्टीकरण देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जब वे सरकारी निर्णय में उनकी अनुपस्थिति के कारण स्पष्ट हैं।

27. अपीलकर्ताओं का अन्य तर्क यह है कि +2 व्याख्याताओं की बीएसईएस के साथ कोई समानता नहीं है, ताकि बीईएस में आत्मसात किया जा सके। दिनांक 23.06.2009 की अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीयकृत और सरकारी स्कूलों को राष्ट्रीयकृत स्कूलों के शिक्षकों के साथ मिला दिया गया था। इस पर प्रासंगिक बात यह है कि कोई भी समझ में आने वाला अंतर नहीं हो सकता है। राज्य के अधिवक्ता द्वारा इंगित

6 1978 (1) एस. सी. सी. 405

7 ए आई आर 1952 एस सी

किया गया कि इस तरह के मामलों को बनाए रखने के लिए सरकारी स्कूलों में तैनात + 2 लेक्चररों और बीएसईएस माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के बीच मनमाने ढंग से वर्गीकरण। इसलिए, अपीलकर्ता की ओर से इस तरह के तर्क पर विचार किया जाता है, क्योंकि इसका कोई आधार नहीं है, लेकिन इसे खारिज कर दिया जाता है।

28. महत्वपूर्ण रूप से, विज्ञापन 1/87 के अनुसार, + 2 व्याख्याताओं को दिए गए वेतनमान की तुलना में बीएसईएस के संवर्ग में माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को 850-1360/- रुपये का निचला वेतनमान दिया गया था। इसके अलावा, + 2 व्याख्याताओं के लिए निर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यता द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर थी, जबकि अन्य पदों के लिए, केवल एक स्नातक निर्धारित योग्यता को पूरा करेगा। इस प्रकार, पृष्ठ ३४ का प्रतिपादन करने के बावजूद, प्रत्यर्थियों को बीएसईएस कैडर से और परिणामतः बीईएस से बाहर रखा गया। बीएसईएस के शिक्षक सदस्यों के रूप में एक ही सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में निरंतर सेवाओं के कारण एक भेदभावपूर्ण स्थिति पैदा हुई है, जिसमें बीएसईएस शिक्षक जो सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में उत्तरदाताओं के लिए जूनियर (शैक्षणिक योग्यता और वेतनमान के संदर्भ में) हैं, उन्हें उच्च वेतनमान का लाभ मिला है और शिक्षा विभाग में प्रमुख नियंत्रक पदों पर पदोन्नति के अवसर भी मिले हैं। यह निश्चित रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 (1) के तहत गारंटी प्राप्त +2 व्याख्याताओं के अधिकारों का उल्लंघन होगा।

29. उपरोक्त असंगत स्थिति को सुधारने के बजाय, सरकार ने 23 जून, 2009 को जारी अधिसूचना के माध्यम से मनमाने ढंग से और बिना किसी दिमाग के + 2 लेक्चररों को राष्ट्रीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के बराबर रखा। इसके लिए दिया गया अस्वीकार्य औचित्य यह है कि + 2 व्याख्याताओं के कैडर में प्लेसमेंट के परिणामस्वरूप राष्ट्रीयकृत स्कूल शिक्षकों में से + 2 के व्याख्याताओं प्रधान शिक्षक के शैक्षणिक पदों के लिए पदोन्नति प्रदान की गई है, और उनके लिए उच्च स्तर का भी प्रावधान किया गया है। हालांकि, + 2 लेक्चररों को प्रमुख प्रशासनिक पदों पर पदोन्नति के अवसरों से स्पष्ट रूप से वंचित किया जाता है जो बीईएस संवर्ग में उन लोगों के लिए उपलब्ध हैं। बीईएस अधिकारियों को विशेष रूप से प्रमुख प्रशासनिक पदों पर काबिज करने में सक्षम बनाने के लिए उनके पक्ष में सरकार की इस तरह की मनमानी कार्रवाई का

संज्ञान लिया गया और मुकदमेबाजी के पिछले दौर में न्यायालय की कटु टिप्पणियों के अधीन था।⁸ इन्हें पढ़ने के बाद और बीईएस कैडर में लोगों के पक्ष में राज्य द्वारा बार-बार किए गए प्रयासों को ध्यान में रखते हुए, हम यह देखने के लिए मजबूर हैं कि राज्य सरकार वास्तविक रूप से काम नहीं कर रही है और प्रत्यर्थियों को, जो वैध रूप से उन्हें देय है, उससे वंचित करने के अपने अन्यायपूर्ण प्रयास में लगी हुई है।

30. राज्य का निम्नलिखित विभेदकारी कार्य उनके अमानवीय कृत्य को इंगित करने के लिए आवश्यक है। व्यवहार करते हैं। पहला, बिहार गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालय (नियंत्रण और प्रबंधन का नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के कानून में + 2 व्याख्याताओं की सेवा शर्तों के निर्धारण को अधिकृत नहीं किया गया है। 1981 का अधिनियम का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों के 'अधिग्रहण' के लिए प्रावधान करना या बिहार राज्य में माध्यमिक शिक्षा के सुधार, बेहतर संगठन और विकास के लिए राज्य के नियंत्रण के तहत माध्यमिक विद्यालयों को मंजूरी दी गई है। सरकारी विद्यालयों में + 2 व्याख्याता नहीं रखे जा सकते 1981 के अधिनियम में शिक्षक की परिभाषा के बाद से विद्यालयों माध्यमिक विद्यालयों का अधिग्रहण किया गया। धारा 9 राज्य सरकार को केवल अधिगृहीत माध्यमिक विद्यालयों (लेकिन सरकारी विद्यालयों के नहीं) के प्रधानाध्यापक, शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण करने में सक्षम बनाती है। न तो 1981 के अधिनियम की धारा 9 और न ही धारा 15 राज्य सरकार को अधिनियम के दायरे का विस्तार करने के लिए नियमों में संशोधन करने के लिए सशक्त करती है। अधिसूचना (23.06.2009) 1981 के अधिनियम की परिधि से काफी परे है और इसलिए 1981 के अधिनियम में आवश्यक संशोधनों के बिना इसे जारी नहीं किया जा सकता था।

31. इसके बाद, आइए हम सरकार की उस कार्रवाई का परीक्षण करें जो कानूनी उम्मीद के सिद्धांत के तहत की जा रही है। अधिसूचना (23.06.2009) कानूनी रूप से असमर्थनीय होने के अलावा, प्रतिवादियों द्वारा बीएसईएस संवर्ग में सरकारी स्कूलों के सदस्यों के रूप में पोषित ठोस वैध अपेक्षाओं को भी नकारती है। शिक्षा विभाग के प्रशासनिक विंग में नियंत्रक/पर्यवेक्षक पदों के लिए पदोन्नति के अवसरों के अभाव में यह

⁸ देखिए चर्चा पूर्वोक्त टिप्पण 4

इनकार विशेष रूप से स्पष्ट है। प्रतिवादी, + 2 लेक्चरर के रूप में अपनी सेवा के दौरान, सामान्य वरिष्ठता सूची में उनकी परस्पर वरिष्ठता के आधार पर विभाग में उच्च पद पर काबिज होने की उम्मीद करेंगे, लेकिन सरकारी कार्रवाई, राष्ट्रीयकृत स्कूलों के शिक्षकों के साथ + 2 व्याख्याताओं के कृत्रिम उप-समूह के माध्यम से आंदोलन को प्रतिबंधित करना, उनकी उम्मीदों को बेवजह गलत साबित किया है। इससे यह पता चलता है कि प्रत्यर्थियों को अपीलकर्ताओं द्वारा बगीचे के रास्ते पर ले जाया गया था।

32. इससे उत्पन्न विधिक परिणामों को समझने के लिए, आर. वी. इनलैंड का उपयोगी संदर्भ लिया जा सकता है। राजस्व आयुक्त, एकपक्षीय एम. एफ. के. हामीदारी एजेंट्स लिमिटेड⁹ (1989) जहां लार्ड जस्टिस ऑफ अपील, थॉमस बिंघम ने विधिसम्मत अपेक्षाओं के संरक्षण के लिए औचित्य का आह्वान करते हुए निम्नलिखित विचार व्यक्त किए:-

“यदि कोई लोक प्राधिकारी इस प्रकार व्यवहार करता है जिससे यह वैध आशा पैदा होती है कि एक निश्चित मार्ग का अनुसरण किया जाएगा तो यह अक्सर अनुचित होगा यदि प्राधिकारी को एक ऐसे व्यक्ति के नुकसान के लिए एक अलग मार्ग का पालन करने की अनुमति दी जाती है जिसने उम्मीद की थी, विशेष रूप से यदि उसने उस पर कार्य किया हो। न्यायोचित अपेक्षा का सिद्धांत निष्पक्षता में निहित है।”

33. न्यायसंगत अपेक्षाओं के वंचन के एक अन्य¹⁰ पहलू को इंग्लैंड के अपील न्यायालय द्वारा रेखांकित किया गया है और वेल्स के मामले में, जहां न्यायालय ने यह परीक्षण करने के लिए एक मानदंड के रूप में शक्ति के दुरुपयोग का उपयोग करना पसंद किया कि क्या कोई सार्वजनिक निकाय प्रथम दृष्टया वैध उम्मीद से पीछे हट सकता है। न्यायालय की राय में, यदि सरकारी प्राधिकारी ऐसी अपेक्षा करता है जो ठोस है, तो बाध्यकारी लोकहित के अभाव में अपेक्षित कार्रवाई से हटकर उस अपेक्षा को व्यथित करना इतना अनुचित होगा कि यह शक्ति का दुरुपयोग होगा। वर्तमान मामले में सत्ता का

9 [1990] 1 डब्ल्यूएलआर 1545

10 आर बनाम नॉर्थ एंड ईस्ट डेवन हेल्थ अथॉरिटी एक्स पी.कौगलान, [2001] क्यूबी 213

दुरुपयोग राज्य के असमान विनिश्चय में स्पष्ट है। 1985 की अधिसूचना के माध्यम से, जिसमें + 2 व्याख्याता पदों का सृजन किया गया था और 1987 के विज्ञापन के माध्यम से, जिसके तहत प्रत्यर्थियों ने सेवा में प्रवेश किया था, इसके विपरीत, राष्ट्रीयकृत स्कूलों के शिक्षकों के साथ + 2 व्याख्याताओं को जोड़ा गया। अनुमानित मार्ग से इस तरह के स्पष्ट विचलन से मनमानी और सरकारी कार्रवाई की बू आती है, जो बीईएस के हितों की चुनिंदा रूप से रक्षा करती है। संवर्ग, न्याय और निष्पक्षता के नियमों के अनुरूप नहीं है।

34. उपर्युक्त से संकेत लेते हुए, जहां मूल विधिसम्मत अपेक्षा प्राधिकारी की शक्ति के अधिकारातीत नहीं है और न्यायालय उसका संरक्षण करने की स्थिति में है, राज्य को अपना मार्ग बदलने और प्रत्यर्थियों की विधिसम्मत अपेक्षा को अस्वीकार करने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती। जैसा कि सभी जानते हैं, नियमितता, पूर्वानुमान, निश्चितता और निष्पक्षता सरकार के आवश्यक सहयोगी हैं। हमारी राय में कार्रवाई और बिहार सरकार अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखने में विफल रही, जिसे हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से रोका गया था।

35. विचार करने की अगली बात इस कार्यवाही में मध्यस्थ के रूप में बीईएस एसोसिएशन का अभिवाक है और उनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विजय हंसारिया द्वारा प्रस्तुतियां दी गई हैं। इस पर पहला अवलोकन यह किया जाना चाहिए कि हस्तक्षेप करने वाले के अधिकार सीमित हैं। बीईएस खुद को उच्च न्यायालय में पेश कर सकता था, पर फैसला किया गया। अपने जोखिम को दूर रखने के लिए प्रत्यर्थी की रिट याचिका उच्च न्यायालय में लगभग 6 वर्षों से लंबित थी और बीईएस में जो लोग शिक्षा विभाग में महत्वपूर्ण पदों पर हैं, वे 2008 के सीडब्ल्यूजे मामला संख्या 18793 और अन्य संबंधित मामलों से अनजान नहीं हो सकते थे। इस प्रकार, उनके लिए उपलब्ध सीमित दायरे के भीतर, हस्तक्षेप करने वालों को, जो हमेशा बाड़ पर बैठे रहते थे, अब इस न्यायालय के समक्ष पहली बार एक नए मामले की पैरवी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य द्वारा दायर जवाबी हलफनामा हमें बीईएस एसोसिएशन के सदस्यों के पक्ष में झुकने के लिए राजी नहीं करता है।

36. पहले के दौरों में, यह न्यायालय बिहार राज्य में था। सरकार ने माध्यमिक विद्यालय शिक्षक असोसिएशन बनाम बिहार और एजुकेशन सर्विस असोसिएशन¹¹, बिहार माध्यमिक विद्यालय शिक्षक असोसिएशन बनाम अशोक कुमार सिन्हा¹² बीईएस एसोसिएशन द्वारा बीएसईएस के एकीकरण में बाधा डालने के जोरदार प्रयासों की आलोचना की उन्होंने बीईएस संवर्ग के लोगों के हितों की रक्षा में बिहार सरकार के अनुचित व्यवहार के बारे में भी चर्चा की। विलय के फैसले की उन पिछली चुनौतियों को अदालत ने खारिज कर दिया था। इस प्रकार, बीईएस एसोसिएशन को, विंगों से निगरानी करने वाले दल के रूप में, अब वह हासिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो वे पिछले मुकदमों में हासिल करने में विफल रहे थे। इस तरह की परिस्थितियों में यह कहने की आवश्यकता है कि एक प्रतिकूल मुकदमेबाजी में, बाड़ लगाने वालों को बराबरी पर नहीं रखा जा सकता है। सामने के धावकों के साथ बराबरी पर नहीं रखा जा सकता है।

37. उपर्युक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, हमारा निष्कर्ष यह है कि + 2 व्याख्याता पद बीएसईएस संवर्ग में सृजित किए गए थे। इसे अधिसूचना (13.11.1985) और विज्ञापन संख्या 1/87 में भी दर्शाया गया था। माध्यमिक विद्यालयों में बीएसईएस शिक्षकों के साथ वेतनमान समानता प्रदान करने में सरकार का आचरण इस निष्कर्ष को मजबूत करता है। ये प्रासंगिक और उपस्थित परिस्थितियां नियुक्ति पत्रों में पूर्व कैडर संदर्भ के निहितार्थ को ग्रहण करती हैं। यह भी देखा जा सकता है कि दिनांक 23.06.2009 की अधिसूचना के माध्यम से नियुक्ति ने प्रत्यर्थियों की वैध उम्मीदों को विफल कर दिया है और प्रत्यर्थियों की प्रमुख पदों पर पदोन्नति को रोकने के अनुचित उद्देश्य से किया गया था, विशेष रूप से उनकी प्रशासनिक शाखा में। राज्य की कार्रवाई में इस तरह का अन्याय न्यायालय द्वारा नहीं देखा जा सकता है। परिणामस्वरूप, हम + 2 व्याख्याताओं के पक्ष में दिए गए आक्षेपित निर्णय में इस आशय के तर्कों और निष्कर्षों के साथ अपना अनुमोदन दर्ज करते हैं कि वे वास्तव में अधीनस्थ शैक्षिक सेवा के सदस्य हैं और राज्य सरकार को विज्ञापन संख्या 1/87 के अनुसरण में नियुक्त + 2 व्याख्याताओं

11 पूर्वोक्त

12 पूर्वोक्त

को अधीनस्थ शैक्षिक सेवा के सदस्य के रूप में मानना चाहिए और सभी सेवा लाभों को अधीनस्थ शैक्षिक सेवा के सदस्यों के रूप में उन तक विस्तारित किया जाना चाहिए।

38. तदुसार, आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए कोई उचित कारण नहीं देखे गए हैं। अपीलों को लागत पर बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है। हालांकि, चूंकि उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय समाप्त हो गया है, राज्य उच्च न्यायालय के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है।

[के. एम. जोसेफ], न्यायमूर्ति

[हृषिकेश रॉय], न्यायमूर्ति

नई दिल्ली

05 मई, 2022

खण्डन (डिस्क्लेमर) :- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।